RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३, अंक २५] गुरुवार, जुलै २७, २०१७/श्रावण ५, शके १९३९ [पृष्ठे ८, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ३९

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

ग्रामविकास तथा जल संरक्षण विभाग

बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट,

मुंबई ४०० ००१, दिनांकित १९ जुलाई २०१७।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XVI OF 2017.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १६ सन २०१७।

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम में अधिकतर संशोधन संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हैं ;

सन् १९५९ का ३। **और क्योंकि** महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका हैं की, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ हैं ;

अब इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अध्यादेश, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ कहलाए।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

सन् १९५९ का ३ की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया हैं) की सन् १९५९ का ३। धारा ३ में,—

(क) खण्ड (११क क) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (११क क क) " सदस्य " का तात्पर्य, धारा ११ के अधीन **पंचायत** के सदस्य के रुप में सम्यक्तया निर्वाचित सदस्य से हैं और जिसमें, धारा ३०क-१क के अधीन **पंचायत का** सीधे निर्वाचित **सरपंच** सम्मिलित हैं ;**";**

(ख) खण्ड १७ में, " धारा ३० " शब्द और अंकों के पश्चात्, " ३०क-१क " अंक, अक्षर और चिन्ह निविष्ट किये जायेंगे।

सन् १९५९ का ३ की धारा ७ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ७ की, उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (३क) **पंचायत** के संबंध में जिसका **सरपंच,** धारा ३०क-१क के अधीन, सीधे निर्वाचित हुआ हैं, तो जब तक इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित, **पंचायत** के प्रत्येक आम निर्वाचन के पश्चात्, **ग्राम सभा** की सभी बैठकों की, सरपंच और उसकी अनुपस्थिति में, **उप-सरपंच** द्वारा अध्यक्षता की जाएगी ; और **सरपंच** और **उप-सरपंच** दोनों की अनुपस्थिति में, **ग्राम सभा** की उस बैठक में उपस्थित, आयु से सबसे ज्येष्ठतम सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जायेगी। **पंचायत** के कोई सदस्य उपस्थित न होने के मामले में, **ग्राम सभा** की उस बैठक में, उपस्थित व्यक्तियों के द्वारा निर्वाचित किये गये व्यक्ति द्वारा अध्यक्षता की जायेगी।"।

सन् १९५९ का ३ की धारा १० में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा १० की, उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (१क) **पंचायत** के संबंध में जिसका **सरपंच,** धारा ३०क-१क के अधीन सीधे निर्वाचित हुआ हैं तो इस धारा के उपबंध, उन उपांतरणों से लागू होंगे,

उप-धारा (१) के, खण्ड (क) में, उप-खण्ड (झ) के पूर्व, निम्न उप-खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

(झ-क) धारा ३०क-१क के अधीन, निर्वाचित **सरपंच** - पदेन सदस्य ;"।"।

सन् १९५९ का ३ की धारा १३ में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा १३ में उप-धाराएँ (१) और (२) के स्थान में, निम्न उप-धाराएँ, रखी जायेंगी, अर्थात् :—

" (१) प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम मतदाता सूची में हैं, जब तक की, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निरर्ह न हों, प्रभाग जिससे ऐसी सूची संबंधित हैं, और **पंचायत का सरपंच** सीधे निर्वाचित किया जाने वाला हैं के सदस्य के निर्वाचन के लिये मत देने के लिये अर्ह होगा।

(२) प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम मतदाता सूची में हैं और जो, प्रत्येक आम निर्वाचन या उप-निर्वाचन के लिये नामनिर्देशन करने के लिये नियत किये गये अंतिम दिनांक पर २१ वर्ष की आयु से कम न हो, जब तक की, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, निरर्ह नहीं होगा, ग्राम के किसी प्रभाग के लिये और **पंचायत के सरपंच** के लिये निर्वाचित होने के लिये अर्ह होगा। कोई व्यक्ति, जिसका नाम ऐसे गाँव की मतदाता सूची में प्रवेशित नहीं हैं, गाँव के किसी प्रभाग और **पंचायत** के **सरपंच** के लिये निर्वाचित होने के लिये अर्ह नहीं होगा।

(२क) प्रत्येक व्यक्ति, जो प्रत्येक आम निर्वाचन या उप-निर्वाचन के लिये नामनिर्देशित करने के लिये नियत किये गये अंतिम दिनांक पर जिसकी आयु २१ वर्ष से कम नहीं हैं और जिसका नाम मतदाता सूची में हैं और जिसका १ जनवरी, १९९५ को या के पश्चात् जन्म हुआ हैं और जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निरर्ह नहीं हैं, जब तक कि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित कम-से-कम ७ वी कक्षा की शालेय शिक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र धारण नहीं करता है या ७ वी कक्षा से समतूल्य शैक्षणिक अर्हता अर्जित नहीं करता है तो **सरपंच** के रुप में निर्वाचित होने के लिये अर्ह नहीं होगा।"।"।

६. मूल अधिनियम की धारा १४ की, उप-धारा (१) के,– सन् १९५९ का ३ की धारा १४ में संशोधन।

(एक) खण्ड (क) के, उप-खण्ड (दो) में, " पाँच वर्ष " शब्दों के स्थान में, " छह वर्ष " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) खण्ड (घ) में, " पाँच वर्ष " शब्दों के स्थान में, " छह वर्ष " शब्द रखे जायेंगे।"।

७. मूल अधिनियम की धारा १५ की, उप-धारा (२) में, " धारा ११ " शब्द और अंकों के पश्चात्, "या, यथास्थिति, धारा ३०क-१क " शब्द, अंक, अक्षर और चिन्ह जोड़े जायेंगे। सन् १९५९ का ३ की धारा १५ में संशोधन।

८. मूल अधिनियम की धारा १६ की, उप-धारा (२) में, " राज्य सरकार " शब्द, दोनों स्थानों पर जहाँ कही वें आये हो, के स्थान में, " आयुक्त " शब्द रखा जायेगा। सन् १९५९ का ३ की धारा १६ में संशोधन।

९. मूल अधिनियम की धारा २९ की, उप-धारा (२) में, " यह सचिव को अग्रेषित किया जायेगा " शब्दों के स्थान में, " सचिव को सात दिनों के भीतर अग्रेषित किया जायेगा " शब्द रखे जायेंगे। सन् १९५९ का ३ की धारा २९ में संशोधन।

१०. मूल अधिनियम की धारा ३० की उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् १९५९ की धारा ३० में संशोधन।

" (१क) **पंचायत** के संबंध में जिसका **सरपंच,** धारा ३०क-१क के अधीन सीधे निर्वाचित होता हैं, तो इस धारा के उपबंध, उपांतरणों के साथ लागू होंगे :–

(क) उप-धारा (१) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :–

"(१) प्रत्येक **पंचायत** की, **सरपंच** द्वारा अध्यक्षता की जायेगी ";

(ख) उप-धारा (२) अपमार्जित की जायेगी ;

(ग) उप-धारा (४) में, " के सदस्य होंगे " शब्दों के स्थान में, " की व्यक्तियाँ होंगी " शब्द रखे जायेंगे।"।

११. धारा ३० के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् १९५९ का ३ की धारा ३०क-१क की निविष्टि।

सन् २०१७ का महा. १६। " **३०क-१क** (१) महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ के प्रारंभण के पश्चात्, **पंचायत** के संबंध में, जिसका आम निर्वाचन होनेवाला हैं, धारा ३० की उप-धाराएँ (४), (५) तथा (६) के उपबंधों के अध्यधीन, प्रत्येक **पंचायत** का सरपंच, जो धारा १२ के अधीन, व्यक्तियों जिनके नाम गाँव की मतदाता सूची में शामिल हैं, के द्वारा निर्वाचित किया जायेगा। सरपंच का सीधे निर्वाचन।

(२) **सरपंच** का निर्वाचन, **पंचायत** के आम निर्वाचन के साथ-साथ ही होगा और पंचायत के निर्वाचन रोकने से संबंधित प्रक्रिया, **यथावश्यक परिवर्तन समेत,** ऐसे निर्वाचनों को लागू होंगी।

(३) यदि, निर्वाचन के समय, कोई **सरपंच** निर्वाचित नहीं होता हैं, तब **सरपंच** निर्वाचित करने के लिये नया निर्वाचन लिया जायेगा, और यदि नये निर्वाचन के समय **सरपंच** निर्वाचित करने में विफल हो, तब, ऐसी रिक्ति, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, निर्वाचित सदस्यों द्वारा, उनमें से, निर्वाचन द्वारा भरी जायेगी और इस उप-धारा के अधीन निर्वाचित **सरपंच** का पदावधि, **पंचायत** के सदस्यों के पदावधि के साथ सहपर्यवसित होगी।

(४) उप-धारा (३) के अधीन निर्वाचित कोई व्यक्ति, इस धारा के अधीन निर्वाचन के समय सम्यक्तया निर्वाचित हुआ समझा जायेगा।

(५) यदि, **सरपंच** के निर्वाचन में, मतों की समानता होती है तब, निर्वाचन का परिणाम, राज्य निर्वाचन आयुक्त या इस प्रयोजन के लिये उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा डाली गयी चिठ्ठीयों द्वारा, विनिश्चित किया जायेगा।

(६) **सरपंच** के निर्वाचित से संबंधित विवाद के मामले में, धारा १५ के उपबंध, **यथावश्यक परिवर्तन समेत,** लागू होंगे।".

सन् १९५९ का ३ की धारा ३०क में संशोधन।

१२. मूल अधिनियम की धारा ३० क में,—

(क) उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (१क) **पंचायत** के संबंध में, जिसके **सरपंच** सीधे निर्वाचित हुआ हैं तो वहाँ **उप-सरपंच** का निर्वाचन, प्रत्येक आम निर्वाचन के पश्चात्, ली गई पहली बैठक में किया जायेगा।";

(ख) उप-धारा (२) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

" (२क) **पंचायत** के संबंध में, जिसके **सरपंच** सीधे निर्वाचित हुआ हैं वहाँ धारा ३० की उप-धारा (३) के उपबंध, **उप-सरपंच** के मामले में **यथावश्यक परिवर्तन समेत** लागू होंगे।".

सन् १९५९ का ३ की धारा ३३ में संशोधन।

१३. मूल अधिनियम की धारा ३३ की, उप-धारा (५) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (६) **पंचायत** के संबंध में, जिसका **सरपंच** धारा ३०क-१क के अधीन सीधे निर्वाचित होता हैं, वहाँ इस धारा के उपबंध, निम्न उपांतरणों से लागू होंगे :—

(क) उप-धारा (१) में, " **सरपंच** और **उप-सरपंच** का निर्वाचन " शब्द दोंनों स्थानों पर, जहाँ कहीं वे आए हों, के स्थान में, " **उप-सरपंच** का निर्वाचन " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (१क) **सरपंच** का निर्वाचन, इस अधिनियम की धारा ३०क-१क के उपबंधों के अनुसरण में होगा। ";

(ग) उप-धारा (२) में, " के द्वारा अध्यक्षता करेगा " शब्दों के स्थान में, " **सरपंच** और यदि **सरपंच** का पद रिक्त है, द्वारा " शब्द निविष्ट किये जायेंगे ;

(घ) उप-धारा (३) में, " **सरपंच** और " शब्द अपमार्जित किये जायेंगे ;

(ङ) उप-धारा (४) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी,—

" (४) यदि, **उप-सरपंच** के निर्वाचन में, मतों की समानता होती हैं, तब **सरपंच** को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा और यदि, **सरपंच** का पद रिक्त हैं, तब निर्वाचन का परिणाम, अध्यक्षता करनेवाले अधिकारी की उपस्थिति में, जैसा कि वह अभिनिर्धारित करे, ऐसी रित्या, डाली गयी चिट्ठीयों द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।".

(च) उप-धारा (५) में,—

(एक) " **सरपंच** या " शब्द अपमार्जित किये जायेंगे।

(दो) " उप-धारा (१) " शब्द, कोष्टकों और अंक के स्थान में, " **सरपंच** या " शब्द रखे जायेंगे।"।

१४. मूल अधिनियम की धारा ३५ में, उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् १९५९ का ३ की धारा ३५ में संशोधन।

" (१क) **पंचायत** के संबंध में, जिसका **सरपंच** धारा ३०क-१क के अधीन सीधे निर्वाचित होता हैं, इस धारा के उपबंध, निम्न उपांतरणों के साथ लागू होंगे :—

(क) उप-धारा (१) में, " एक तिहाई " शब्दों के स्थान में, " दो तिहाई " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (३) में,—

" यदि प्रस्ताव " से शुरू होनेवाले और " **सरपंच** के विरूद्ध " शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

यदि, अविश्वास प्रस्ताव, सदस्यों, जो **पंचायत, सरपंच** या, यथास्थिति, **उप-सरपंच** की किसी बैठक में बैठने या मत देने के लिए तत्समय हकदार हैं और कलक्टर द्वारा प्रयोजन के लिये, नियुक्त अधिकारी की अध्यक्षता की उपस्थिति में और के अधीन, गुप्त मतपत्र द्वारा विशेष **ग्राम सभा** के समक्ष अनुसमर्थित करते है, कि कुल संस्था के तीन-चौथाई से अनून बहूमत द्वारा कार्यान्वित होता हैं, तब, तुरंत ही, सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कृत्यों और पद की सभी कर्तव्यों का अनुपालन करना बंद करेगा और तदुपरान्त, **सरपंच** के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव कार्यान्वित होने के मामले में, ऐसी शक्तियाँ, कृत्य और कर्तव्य **उप-सरपंच** में निहित होंगे ;";

(ग) चतुर्थ परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक, रखा जायेगा, अर्थात् :—

परंतु यह भी कि, ऐसा कोई भी अविश्वास प्रस्ताव, **सरपंच** या **उप-सरपंच** के निर्वाचन के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के भीतर और अनुवर्ति दिनांक, जिसपर **पंचायत** की पदावधि पूर्ववर्ती छह महीने के पूर्व अवसित होती हैं तो नहीं लाया जायेगा :

परंतु यह भी कि, यदि अविश्वास प्रस्ताव विफल होता हैं, तो, अगले दो वर्षों की अवधि के पूर्व नहीं लाया जायेगा।"।"।

१५. मूल अधिनियम की धारा ३८, की उप-धारा (२) के खण्ड (१) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :— सन् १९५९ का ३ की धारा ३८ में संशोधन।

" (एक-क) **पंचायत** के संबंध में, जिसका **सरपंच** धारा ३०क-१क के अधीन, सीधे निर्वाचित होता हैं वहाँ, **सरपंच** निम्न शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा,—

" (क) **पंचायत** की बैठक की कार्यसूची को अंतिम रुप देगा :

परंतु, यदि तीन या से अधिक सदस्य, अगली बैठक में, किसी मद के, कार्यसूची में समावेशन के संबंध में माँग करते हैं, तब **सरपंच** उसे अगली बैठक में समावेशित करेगा :

परंतु आगे यह कि, कोई भी तदर्थ वित्तीय, कार्य, जब तक कि वह परिचालित कार्यसूची के भाग के प्ररुप में न हो, पूरा नहीं किया जायेगा :

परंतु यह भी कि, यदि **पंचायत** किसी विषय पर, जो कि, **सरपंच** के मत में, बडे पैमाने पर गाँव के हित में हानिकारक हैं, संकल्प करती हैं, तब **सरपंच,** अगली अनुवर्ती **ग्राम सभा** की बैठक में, अंतिम निर्णय के लिये, संकल्प रखने का कारण होगा और उक्त **ग्राम सभा** का निर्णय अंतिम होगा ;

(ख) **पंचायत** का वार्षिक बजट तैयार करना ;

(ग) **पंचायत** के परामर्श में, योजनाओं के कार्यान्वयन की सभी अन्य शक्तियों का निर्वहन करना ;"।

सन् १९५९ का ३ की धारा ३९ में संशोधन।

१६. मूल अधिनियम की धारा ३९ की, उप-धारा (२) में, " पाँच वर्षे " शब्दों के स्थान में, " छह वर्षों " शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९५९ का ३ की धारा ४३ में संशोधन।

१७. मूल अधिनियम की धारा ४३ की, उप-धारा (२) में, विद्यमान परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

" परंतु आगे यह कि, इस उप-धारा के अधीन सीधे निर्वाचित सरपंच का पद रिक्त होने पर, ऐसी रिक्ति के दिनांक से छह महीनों के भीतर, धारा ३०क-१क में अधिकथित रित्या में निर्वाचन द्वारा भरा जायेगा।"।

सन् १९५९ का ३ की धारा ४९ में संशोधन।

१८. मूल अधिनियम की धारा ४९ की, उप-धारा (४) के, परंतुक में,—

(एक) खण्ड (क) के पूर्व, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

" (क-१) **सरपंच पदेन** अध्यक्ष होगा ;**";**

(दो) खण्ड (च) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

" (छ) ग्रामसेवक, **पदेन** सदस्य-सचिव होगा।"।"।

सन् १९५९ का ३ की धारा ६२ में संशोधन।

१९. मूल अधिनियम की धारा ६२ में, उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :–

" (१कक) **पंचायत** के संबंध में, जिसका सरपंच, धारा ३०क-१क के अधीन, सीधे निर्वाचित हुआ हैं, इस धारा के उपबंध, निम्न उपांतरणों के साथ, लागू होंगे :–

(क) उप-धारा (१) और (१क) के स्थान में, निम्न उप-धाराएँ रखी जायेंगी, अर्थात् :–

" (१) **सरपंच,** जैसा कि वह विहित किया जाए, ऐसे प्ररुप में, प्रत्येक वर्ष के ५ जनवरी को या के पूर्व वार्षिक अवधारण करेगा,—

(क) निधि की शेष राशि और अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के लिये **पंचायत** की प्राक्कलित आय ;

(ख) धारा ४५ के अधीन, स्थापनाओं और उसके कर्तव्यों के निर्वहन पर प्रस्तावित व्यय ;

(ग) धारा १३३ के अधीन, स्थापित जिला ग्राम विकास निधि को अंशदान के रुप में दी जानेवाली रकम ;

(घ) खण्ड (क) (ख) या, यथास्थिति, (ग) के अधीन बनाया गया विवरण, **पंचायत** के समक्ष **सरपंच** द्वारा रखा जायेगा ;

(ङ) **पंचायत,** उक्त विवरण के संबंध में, ३१ जनवरी को या के पूर्व उसकी सिफारिशों को अंतिम करेगी ;

(च) खण्ड (ङ) के अधीन, **पंचायत** की सिफारिशों के साथ विवरण, ग्राम सभा के समक्ष रखेगा, जो इसे, २८ फरवरी को या के पूर्व समर्थित कर सकेगी ;

(छ) खण्ड (च) के अधीन **ग्राम सभा** के निर्णय के पश्चात्, उक्त विवरण, **पंचायत समिति** को प्रस्तुत किया जायेगा।

" (१-क) यदि, उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट दिनांक को या के पूर्व,—

(क) **सरपंच** विवरण प्रस्तुत करने में विफल हो ; या

(ख) **पंचायत** विवरण के संबंध में सिफारिश बनाने में विफल हो ; या

(ग) **ग्राम सभा** सिफारिशों के अनुसमर्थन में निर्णय लेने में विफल होती हैं,—

तब, सचिव, कार्यान्वित करने के लिये अनिवार्य और कार्यालय व्यय के संबंध में, विवरण तैयार करेगा और उसे उक्त उप-धारा के अधीन विहित प्ररुप में **पंचायत समिति** को प्रस्तुत करेगा।";

(ख) उप-धारा (२) में, " **पंचायत समिति** " शब्दों से प्रारंभ होनेवाले और " बढाया जायेगा या कम किया जायेगा " शब्दों के समाप्त होने वाले भाग के स्थान में, " **पंचायत समिति**, या तो विवरण अनुमोदित करेगी या निदेश देगी कि, धारा ४५ के अधीन आनेवाली किन्हीं कर्तव्यों पर प्रस्तावित व्यय, प्रत्येक वर्ष के ३१ मार्च को या के पूर्व बढ़ाया जायेगा या घटाया जायेगा। इस विवरण के अनुसार किया गया व्यय, इस धारा की उप-धारा (१) में निर्धारित बजट-संबंधी प्रक्रिया के दिनांक तक पूरा हुआ है " शब्द रखे जायेंगे।";

(ग) उप-धारा (२) के द्वितीय परंतुक में, " बढाया जायेगा या कम किया जायेगा " शब्दों के पश्चात् " प्रत्येक वर्ष के ३१ मार्च को या के पूर्व और पुनरीक्षित और अनुपूरक विवरण के मामले में " शब्द निविष्ट किये जायेंगे।

सन् १९५९ का ३ की धारा ६२क में संशोधन।

२०. मूल अधिनियम की धारा ६२ क, उस धारा की उप-धारा (१) के रूप में पुनःक्रमांकित की जायेगी और इस प्रकार पुनःक्रमांकित उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा जोडी जायेगी, अर्थात् :—

" (२) **पंचायत** के संबंध में, जिसका सरपंच, धारा ३०क-१क के अधीन, सीधे निर्वाचित हुआ हैं, तो **सरपंच,** वित्तीय वर्ष, जिसके लिये यथा उपर्युक्त कोई ऐसे विवरण अनुमोदित किये गये हैं, के दौरान, किसी भी समय पर, पुनरीक्षित या अनुपूरक विवरण तैयार किये जाने के लिये कारण बन सकेगा। प्रत्येक ऐसा पुनरीक्षित या अनुपूरक विवरण, जैसा कि वह मूल विवरण हो कि रित्या **पंचायत समिति** द्वारा माना जायेगा और अनुमोदित किया जायेगा और धारा ६२ के उपबंध ऐसे पुनरीक्षित या अनुपूरक विवरण के संबंध में लागू होंगे।

सन् १९५९ का ३ की धारा १४५ में संशोधन।

२१. मूल अधिनियम की धारा १४५ की, उप-धारा (१क) अपमार्जित की जायेगी।

कठिनाई के निराकरण की शक्ति।

सन् १९५९ का ३.

२२. (१) इस अध्यादेश द्वारा, यथासंशोधित महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती हैं, तब, राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, इस अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित, उक्त अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत हो, ऐसे निदेश दे सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

वक्तव्य।

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम (सन् १९५९ का ३) के विद्यमान उपबंधों के अनुसार, पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित किया जाता हैं जिसमें उम्मीदवार, **सरपंच** पद के लिए उनमें से आवश्यक बहुमत से चुनाव लडते है। इस अधिनियम के विद्यमान उपबंध, यह उपबंध करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव कुल सदस्यों की संख्या से एक तिहाई से अनून से लाया जा सकता हैं। परिणामस्वरूप, सदस्य ऐसे अविश्वास प्रस्ताव बारंबार लाते हैं, जिसका प्रभाव सरपंच की कार्यक्षमता पर पडता हैं और पंचायत के सुचारू रूप से कार्य करने में बाधाएँ आती हैं।

२. इसलिए, सम्यक् विचार-विमर्श के बाद यह आवश्यक समझा गया है कि जनता में से पंचायत के सरपंच पद के लिए सीधे चुनाव प्रणाली को स्वीकृत किया जाये जिससे पंचायत के कार्यों में स्थिरता आयेगी। इसलिये यह इष्टकर समझा गया हैं कि, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम (सन् १९५९ का ३) के उपबंधों में अधिकतर यथोचित संशोधन किया जाये ताकि पंचायत के कारगर कार्य और विकास के लिए सरपंच का पद समर्थ बने।

३. प्रस्तावित संशोधन कि विशेषताएँ मोटे तौर पर निम्न है :—

(एक) यह प्रस्तावित हैं कि सरपंच, पंचायत के अर्हताप्राप्त मतदाताओं द्वारा गुप्त मतपत्र के जरिये निर्वाचित करने का उपबंध किया जाये।

(दो) यह प्रस्तावित हैं कि सरपंच, पंचायत कि सभी ग्रामसभाओं और ग्राम विकास समितियों का अध्यक्ष होने का उपबंध किया जाये।

(तीन) यह प्रस्तावित है कि सरपंच के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव पंचायत द्वारा पारित किया जाता हैं तो अनुसमर्थन के लिए ग्रामसभा के समक्ष रखने का उपबंध किया जाये।

(चार) बजट तैयार करने कि जिम्मेदारी सरपंच को दिया जाना प्रस्तावित करना।

(पाँच) इसप्रकार निर्वाचित सरपंच, उसके गाँव के लोगों के प्रति प्रत्यक्ष रूप से जबाबदेही होगा।

४. क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम (सन् १९५९ का ३) में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अत: यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता हैं।

मुंबई,
दिनांकित १८ जुलाई, २०१७।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

असीम गुप्ता,
शासन सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.